

30.5.2018



पंजीकृत मोशन डिजीन
122 (एन.वी.)

39

मध्य प्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

गोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 1978--उपेख 12, शके 1900.

विषय-सूची

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| (1) मध्यप्रदेश विधेयक | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन; | (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (1) अध्यादेश | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम; | (3) संसद् के अधिनियम |
| (1) प्राक्स नियम. | (2) अन्तिम नियम, | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ५ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम।

भू-अभिलेख, भू-परिमाण एवं बन्दोबस्त विभाग

गोपाल, दिनांक 3 दिसम्बर 1977.

विधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने बन्दोबस्त विभाग में चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करते हुये इस नाम—ये नियम मध्यप्रदेश चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1977 कहलायेंगे, ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक से प्रभावशील होंगे.

ये नियम इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ एक में उल्लिखित पदों के संबंध में इस सेवा के प्रत्येक कर्मचारी

तथा वेतनमान आदि—उक्त पदों का वर्गीकरण, उनसे संबंधित वेतनमान, उक्त पदों के लिये भरती की पद्धति, उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) से (10) में उल्लिखित की गई हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिश्चन्द्र, सचिव.

अनुसूची

(नियम 2 देखिये)

पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भरती की पद्धति सीधी भरती द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता	केवल सीधी भरती के आयु आव. शैक्षणिक सीमा ग्रहण
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (7)
1003	चतुर्थ वर्ग	र. 125-150	नैमित्तिक मद में कार्यरत कर्म. को ज्येष्ठ. गणक पदो-च्छेद द्वारा भर्ती करने के द्वारा भृत्यों को पदोन्नति से	न्यूनतम आयु 18 वर्ष कक्षा 5 उत्तीर्ण
4	"	131-164	"	
2	"	131-164	"	
3	"	131-164 विशेष वेतन	"	
11	"	131-164	"	
1	"	131-164	"	
1	"	125-150	नैमित्तिक मद में कार्यरत कर्मचारियों को ज्येष्ठता-नुसार नियुक्ति से तथा शेष पद सीधी भरती से भरे जायेंगे.	

चेवा में भरती एवं पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के समय-समय पर

SCHEDULE

(See rule 2)

Sl. No.	Name of posts	No. of posts	Classification	Pay Scale	Procedure of recruitment	Only for direct recruitment		Shall, condition age and qualification for direct recruitment, applied to period, if any the promotion	The merit of promotion in which the promotion transfer shall be made
						Age limit	Qualification		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Bhat	1005	IV Class..	125-150..	By promotion of employees working as constabulary paid staff or by direct recruitment.			Nil		Senior shall be on the made basis of seniority cum-merit. Junior most shall be transferred out-side.
2. Bastawardar	"	"	131-164	By promotion					
3. Packer	"	"	"	"					
4. Daftari	"	"	"	"					
5. Daftari (Settlement)	"	"	"	"					
6. Lamadar	"	"	"	"					
7. Farrash	"	"	125-150..	By promotion of employees working as constabulary paid staff according to the seniority or by direct recruitment.					
8. Khatasi	"	"	"	"					

[Page 4 (H)]

Ann. - The recruitment and promotions of Schedule Caste Schedules tribes candidates shall be made as per instructions received from Government of M. P. time to time.

42

भोपाल, दिनांक 3 दिसम्बर 1977.

क्र. 5394-5755-नो-77.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत (3) के अनुसार मैं इस विधान की सविमूर्तता
 क्र. 5394-5755-नो 77, दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 का प्रवेशी प्रस्ताव राज्यपाल के आदेशों से प्रस्तावित किया
 जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरिश्चंद्र, सचिव.

Bhopal, the 3rd December 1977.

No. 5394-5755-IX-77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules to regulate the procedure and jurisdiction relating to the recruitment to M. P. Survey, settlement and Land Records Class IV Govt. servant service.—

1. **Short title.**—These rules may be called the M. P. Survey, Settlement and Land Records Class IV Govt. Servant Recruits Recruitment Rules, 1977.

2. **Scope and application.**—These rules shall be apply each member of the service to all the posts mentioned in column (1) of the enclosed schedule.

3. **Classification and scale of pay.**—The classification of posts scale of pay relating to them, the procedure of recruitment, age limit and other related matters are mentioned in columns (3) to (10) of the enclosed schedule.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

HARISH CHANDRA, Secy